एफ.सं. 2-83/2015-ईई.5(एमडीएम-1-2)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(एमडीएम प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 09 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव (शिक्षा)
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: **स्कूलों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के सेवन से बीमार पड़ने वाले बच्चों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा ।**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि अब से वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें मध्याह्न भोजन के सेवन से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाएं जानकारी में आई हैं, ऐसी घटनाओं के बारे में अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट केवल निर्धारित प्रोफॉर्मा (प्रति संलग्न) में इस मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। यह नोट किया जाए कि प्रोफॉर्मा के कॉलम 1 से 6 के सामने दी गई जानकारी **घटना के दिन ही ई-मेल अथवा फैक्स से मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।** अंतिम रिपोर्ट घटना के घटित होने के 30 दिन के भीतर इस मंत्रालय को पहुंच जानी चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि खाद्य के नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजते समय लैब को यह निदेश देना आवश्यक है कि वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एमडीएम प्राधिकारी को 10 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट करने की पद्धति और समय-सीमाओं का पालन करने की हिदायत दी जाए।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय

(अर्नब ढाकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-23387771

प्रतिलिपि: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य नोडल प्राधिकारी (एमडीएम) को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

स्कूलों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के सेवन से बीमार पड़ने वाले बच्चों के मामले में रिपोर्ट करने संबंधी प्रोफॉर्मा

(नोट:-

i. इस प्रोफॉर्मा के पृष्ठ 1 को विधिवत भर कर घटना वाले दिन ई-मेल या फैक्स से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

ii. घटना से संबंधित अंतिम रिपोर्ट में इस प्रोफॉर्मा के दोनों पृष्ठ शामिल होंगे और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ शामिल किए जा सकते हैं। अंतिम रिपोर्ट घटना के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम:

1.	क) जिस स्कूल में घटना घटी उसका नाम ख) यूडीआईएसई कोड ग) पता घ) जिला ङ) राज्य	
2.	घटना की तारीख	
3.	क) जिन बच्चों ने मध्याह्न भोजन लिया उनकी संख्या ख) बीमार पड़ने वाले बच्चों की संख्या	
4.	प्रभावित बच्चों द्वारा बताए गए लक्षण/समस्याएं	
5.	प्रभावित बच्चों को दिए गए उपचार का ब्यौरा	
6.	भोजन को चखने वाले शिक्षकों/माता-पिता और एसएमसी सदस्यों का नाम: क) शिक्षक ख) माता-पिता ग) एसएमसी सदस्य घ) क्या उन्होंने भोजन चखने से संबंधित रजिस्टर में हस्ताक्षर किए?	

7.	जांच के लिए लैब को भेजे गए और एकत्र किए गए खाद्य नमूनों का ब्यौरा क) लैब का नाम और पता ख) भेजने की तारीख ग) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख*	
8.	जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष	
9.	क्या कोई खामियां पाई गईं? यदि हां, उनका ब्यौरा	
10.	लापरवाह पाए गए व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक की लापरवाही का ब्यौरा	
11.	उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा	
12.	भविष्य में स्कूल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय	

**लैब को दस दिन के भीतर जांच परिणाम राज्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर देने चाहिए।*

निदेशक (एमडीएम)/राज्य नोडल अधिकारी (एमडीएम)

हस्ताक्षर एवं पता

ईमेल:

दिनांक: